डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 51/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खीमाराम पुत्र करणाराम 2. दलाराम पुत्र करणाराम 3. झमकु बेवा करणाराम 4. मीरा पुत्री करणाराम 5. धापु पुत्री करणाराम 6. अलपु पुत्री करणाराम जातियान पटेल निवासीगण कांकाणी तह. लूणी जिला जोधपुर 7. भींयाराम पुत्र तेजाराम 8. पपुराम पुत्र तेजाराम 9. देवी पत्नी तेजाराम 10. कमला पुत्री तेजाराम 11. धापु पुत्री तेजाराम जातियान पटेल निवासी मोगड़ाकलां तहसील लूणी जिला जोधपुर 12. भंवराराम पुत्र केवलराम 13. सुखीदेवी पत्नी केवलराम 14. सीतादेवी पुत्री केवलराम 15. तुलसीदेवी पुत्री केवलराम जातियान पटेल निवासीगण कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. रामाराम पुत्र मगनारामजी 2. लिछमणराम पुत्र मगनारामजी जातियान पटेल निवासीगण मोगड़ा कलां तह. लूणी जिला जोधपुर। 3. सुवादेवी पुत्री मगनाराम पत्नी केवलराम जाति पटेल निवासी मोगड़ा कलां तह. लूणी 4. सुगनी पुत्री मगनाराम पत्नी मांगीलाल जाति पटेल निवासी सरेंचा तह. लूणी जिला जोधपुर 5. राजीदेवी पुत्री मगनाराम पत्नी कानाराम जाति पअैल निवासी मोगड़ाखुर्द तह. लूणी जोधपुर। 6. मांगीलाल पुत्र स्व. नाथारामजी पटेल निवासी कांकाणी तह. लूणी 7. बीरबल पुत्र श्री पुनमचंद विश्नोई निवासी करणी नगर, झालामण्ड चौराहे के पहले, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 8. सीतोदेवी पत्नी भभूताराम पुत्र श्री केवलराम उर्फ कालू खींचड़, जाति विश्नोई, निवासी छतरवालो की ढाणी, गुडा विश्नोईयान, तह. लूणी जिला जोधपुर। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा बाबत विभाजन कृषि जोत अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 51/2016 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री प्रेम देवड़ा मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण की ओर से मोतीसिंह राजपुरोहित मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि ग्राम ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा नं. 201, 380 व 461 में वर्तमान में दर्ज खातेदार तीजी पत्नी हरजीराम के स्थान पर उसके गोदपुत्र रामाराम पुत्र मगनाराम (गोदपुत्र तीजी पत्नी हरजीराम) जाति पटेल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अमलदरामद करे। उक्त वाद में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 02.05.2019 इस डिक्री का अंगशुमार हैं। इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि विरुद्ध प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में व उपभोग उपयोग में न तो स्वंय दखल अन्दाजी करे और न ही किसी अन्य से करवावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नीज..मुबलिक..............................बाबत...............................

खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक...को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 6/3/2020 को जारी की गई।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प अरजी दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 51/2016

वादीगण

1. खीमाराम पुत्र करणाराम
2. दलाराम पुत्र करणाराम
3. झमकु बेवा करणाराम
4. मीरा पुत्री करणाराम
5. धापु पुत्री करणाराम
6. अलपु पुत्री करणाराम

जातियान पटेल निवासीगण कांकाणी तह. लूणी जिला जोधपुर

7. भींयाराम पुत्र तेजाराम
8. पपुराम पुत्र तेजाराम
9. देवी पत्नी तेजाराम
10. कमला पुत्री तेजाराम
11. धापु पुत्री तेजाराम

जातियान पटेल निवासी मोगड़ाकलां तहसील लूणी जिला जोधपुर

12. भंवराराम पुत्र केवलराम
13. सुखीदेवी पत्नी केवलराम
14. सीतादेवी पुत्री केवलराम
15. तुलसीदेवी पुत्री केवलराम

जातियान पटेल निवासीगण कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामाराम पुत्र मगनारामजी
2. लिछमणराम पुत्र मगनारामजी
   जातियान पटेल निवासीगण मोगड़ा कलां तह. लूणी जिला जोधपुर।
3. सुवादेवी पुत्री मगनाराम पत्नी केवलराम जाति पटेल निवासी मोगड़ा कलां तह. लूणी
4. सुगनी पुत्री मगनाराम पत्नी मांगीलाल जाति पटेल निवासी सरेंचा तह. लूणी जिला जोधपुर
5. राजीदेवी पुत्री मगनाराम पत्नी कानाराम जाति पअैल निवासी मोगड़ाखुर्द तह. लूणी जोधपुर।
6. मांगीलाल पुत्र स्व. नाथारामजी पटेल निवासी कांकाणी तह. लूणी
7. बीरबल पुत्र श्री पुनमचंद विश्नोई निवासी करणी नगर, झालामण्ड चौराहे के पहले, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
8. सीतोदेवी पत्नी भभूताराम पुत्र श्री केवलराम उर्फ कालू खींचड़, जाति विश्नोई, निवासी छतरवालो की ढाणी, गुडा विश्नोईयान, तह. लूणी जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

उपस्थितिः—

1. श्री प्रेमकुमार देवड़ा वादीगण की ओर से
2. श्री मोतीसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से
3. राजकीय पैरोकार प्रतिवादी सं. 9 की ओर से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 6/3/2020

वादीगण की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत घोषणा खातेदारी, जारी करने निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, एवं ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा संख्या 201, 380, 461, 379, 379 मीन 1, 491 एवं ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 347, 348, 33, 39 व 62 की भूमि में 1/2 भाग वादीगण का तथा शेष 1/2 भाग प्रतिवादीगण का घोषित करने की डिक्री चाही एवं निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त करने की इस्तदुआ की गई। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अपना विस्तृत जबाबदावा दौराने विचारण पेश किया एवं कथन किया कि वादीगण का दावा बेबुनियाद व आधारहीन है। ग्राम मोगड़ा कलां की भूमि पर प्रभु के वारिसान की संयुक्त प्रविष्ठी दर्ज नहीं है एवं प्रभु के तीनों पुत्र प्रथम प्रविष्ठि से ही अलग अलग काबिज काश्त रहे है। उपरोक्त भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज है, वह वादीगण की है, एवं जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वह प्रतिवादीगण की है, इस प्रकार से वादीगण का वाद खारिज करने की प्रार्थना की।

वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना एवं आपसी समझाईश से वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों को लेकर राजीनामा कर लिया है एवं यह वाद लोक अदालत की भावना से किये गये राजीनामे के अनुसार निस्तारण करने के लिए सहमत हुए है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने निम्न अनुसार इस वाद का राजीनामा करना तय किया है:—

कि नत्थाराम, मगनाराम एवं हरजी तीनो ही प्रभु पुत्र आसु के वारिसान है। नत्थाराम के कुल चार पुत्र हुए जो क्रमशः करणाराम, तेजाराम, केवलराम एवं मांगीलाल है। मांगीलाल के अलावा सभी पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है एवं उसके वारिसान द्वारा यह वाद पेश किया गया है। मांगीलाल इस वाद में प्रतिवादी है। मगनाराम के दो पुत्र क्रमश रामाराम एवं लिछमणराम उर्फ लच्छीराम हुए, जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। इसी प्रकार से हरजीराम लाऔलाद थे, जिन्होनें सामाजिक रितीरिवाज से रामाराम पुत्र मगनाराम को गौद ले रखा है। हरजीराम की अन्य वारिसान उनकी पत्नी तीजो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

थी, जिनका देहान्त 2016 में हो गया। इस प्रकार से हरजीराम का एकमात्र वारिसान रामाराम है, जो मगनाराम के देहान्त हो जाने के पश्चात् तीजो द्वारा गोद लिया गया है। उपरोक्त तथ्य सभी पक्षकारान को स्वीकार है।

इस वाद में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा अपना हिस्सा दावा दायर होने से पूर्व ही रामाराम व लिछमणराम को हकतर्क कर दिया है, जिसके संबंध में भी दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने खसरा संख्या 347 में क्रमशः 7 बीघा एवं 15 बीघा रामाराम व लिछमणराम से रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा खरीद की है। जिनके पक्ष में निष्पादित बैचाननामे की वैद्यता के संबंध में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है एव बेचाननामे दोनो पक्षों को स्वीकार्य है। खसरा संख्या 347 ग्राम कांकाणी की 96 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान में रामाराम व लिछमणराम उर्फ लच्छीराम पिसरान मगनाराम (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं इस राजीनामे द्वारा दोनो पक्षों ने यह तय किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त 347 खसरा नम्बर की भूमि में से 9 बीघा 13 बिस्वा खीमाराम, दलाराम पिसरान करनाराम (वादी संख्या 1 व 2) को, 09 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी संख्या 12 भंवराराम पुत्र केवलराम को तथा 09 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी संख्या 7 व 8 (भींयाराम व पप्पुराम पिसरान तेजाराम) को जरिये बख्शीश अन्तरित करेंगे एवं अन्तरण की एवज में कोई प्रतिफल प्रतिवादीगण ग्रहण नहीं करेंगे। अन्तरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्युटी एंव रजिस्ट्रेशन शुल्क वादीगण द्वारा वहन किया जायेगा। इसी प्रकार से खसरा संख्या 348 ग्राम कांकाणी की 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि, रामाराम व लिछमणराम उर्फ लच्छीराम पिसरान मगनाराम (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं इस राजीनामे द्वारा दोनो पक्षों ने यह तय किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त 348 खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि यानिकी 21 बीघा 10 बिस्वा मांगीलाल पुत्र नत्थाराम (प्रतिवादी संख्या 6) को जरिये बख्शीश अन्तरित करेंगे एवं अन्तरण की एवज में कोई प्रतिफल प्रतिवादीगण ग्रहण नहीं करेंगे। अन्तरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्युटी एंव रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वहन किया जायेगा। ग्राम मोगड़ा कलां की खसरा संख्या 380 कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 201 कुल रकबा 80 बीघा 2 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 461 कुल रकबा 44 बीघा 14 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में तीजी पत्नी हरजीराम का क्रमशः खसरा संख्या 380 में 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 201 में 20 बीघा 10 बिस्वांशी एवं खसरा संख्या 461 में 11 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांशी यानिकी कुल 40 बीघा 1 बिस्वा भूमि में तीजी पत्नी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

हरजीराम बतौर खातेदार नाम दर्ज है। तीजी पत्नी हरजीराम का देहान्त हो चुका है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त तीजी पत्नी हरजीराम के स्थान पर रामाराम पुत्र मगनाराम गोदपुत्र हरजीराम को खातेदार घोषित करने के लिए सहमत है। ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा संख्या 201, 380 एवं 461 में दर्ज तीजी पत्नी हरजीराम का एकमात्र वारिसान रामाराम है एवं उक्त तीनों खसरो में तीजी पत्नी हरजीराम के स्थान पर रामाराम का नाम दर्ज किये जाने में सभी वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण, जो कि प्रभु पुत्र आसु के वारिसान है, को कोई ऐतराज नहीं है एवं बतौर गोदपुत्र तीजी पत्नी हरजीराम के स्थान पर रामाराम पुत्र मगनाराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तीजी का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज करने की डिक्री जारी करने के लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी सहमति प्रकट करते है एवं माफिक सहमति व राजीनामे के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावें कि तीजी पत्नी हरजीराम के नाम ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा संख्या 201, 380 एवं 461 में रामाराम पुत्र मगनाराम गोदपुत्र तीजी पत्नी हरजीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं बतौर तीजी के वारिस के तौर पर म्युटैशन रामाराम के नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार लूणी को दिया जावें। कि तीजी पत्नी हरजीराम के हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 रामाराम का नाम दर्ज करवाने के लिए वादीगण संख्या 1 से 15 एवं प्रतिवादी 2 से 6 बतौर तीजी के पारिवारिक वारिस अपना समस्त हक एवं अधिकार इस राजीनामे के मार्फत रामाराम के पक्ष में तर्क करते है एंव किसी भी सरकारी विभाग में किसी प्रकार के दस्तावेज के निष्पादन की आवश्यकता होगी तो वादी संख्या 1 से 15 व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 कोई आनाकानी नहीं करेंगें एवं राजीनामे से पाबन्द रहते हुए भविष्य में भी तीजी पत्नी हरजीराम की भूमि के संबंध में कोई अधिकार क्लेम नहीं करेगे तथा उक्त भूमि पर एकमात्र खातेदार तीजी का गोदपुत्र रामाराम, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 है, माना जायेगा। माफिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बिना किसी विलम्ब के वादी संख्या 1, 2, 7, 8 व 12 के हक में अन्तरण दस्तावेज निष्पादित करवाकर उपपंजीयक लूणी के समक्ष पेश कर पंजीयन करवायेगें।

उपरोक्त वर्णित राजीनामे के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में डिक्री पारित किये जाने के लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमत है तथा माफिक उपरोक्त राजीनामा वाद में डिक्री पारित कर तहसीलदार लूणी को पालना के लिए निर्देशित किया जावें।

राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की तरफ से संयुक्त निवेदन किया कि माफिक राजीनामा इस वाद में डिक्री पारित की जावें एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

तीजी पत्नी हरजीराम के नाम दर्ज खसरा संख्या 201, 380 व 461 ग्राम मोगडा कलां की भूमि रामाराम पुत्र मगनाराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार लूणी को पारित किया जावें। राजीनामा के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने शपथ पत्र पेश किये, एवं राजीनामा तस्दीक कराने के लिए वाद के सभी आवश्यक पक्षकारान न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये, न्यायालय द्वारा राजीनामा सभी पक्षकारान से तस्दीक करवाया गया। कि राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद इस न्यायालय का अभिमत है कि माफिक राजीनामा वाद में डिक्री पारित की जानी चाहिए। राजीनामा करने वाले सभी पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है एवं लोक अदालत की भावना से सभी पक्षकारान ने अपने सभी विवाद सुलझा कर वाद का निर्णय माफिक राजीनामा करने के लिए प्रार्थना की है।

अतः माफिक राजीनामा उपरोक्त वाद निर्णित किया जाता है, माफिक राजीनामा तहसीलदार, लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 201, 380 व 461 में वर्तमान में दर्ज खातेदार तीजी पत्नी हरजीराम के स्थान पर विरासत का म्युटेशन उसके गोदपुत्र रामाराम पुत्र मगनाराम (गोदपुत्र तीजी पत्नी हरजीराम) जाति पटेल के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की जावें। वाद में प्रस्तुत राजीनामा को इस निर्णय का अंगशुमार समझा जायेगा। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
(मोहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी)

यह आदेश आज दिनांक 6/3/2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
(मोहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी)

Scanned by CamScanner